

# जननी एक्सप्रेस योजना

As on Report November, 2016

1	योजना का नाम	<u>“जननी एक्सप्रेस” योजना</u>
2	योजना का संक्षिप्त परिचय	राज्य में महिलाओं प्रसूताओं को सुरक्षित प्रसव एवं नवजात शिशुओं को स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराने हेतु निकटतक राजकीय चिकित्सा संस्थान तक “जननी एक्सप्रेस” बेस एम्बुलेन्स द्वारा यथाशीघ्र पहुंचाने के उद्देश्य से 400 जननी एक्सप्रेस वाहनों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा बजट 2013-14 में राज्य में वर्तमान में संचालित 400 जननी एक्सप्रेस वाहनों के अतिरिक्त 200 नये जननी एक्सप्रेस वाहन और उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। घोषणा के अनुसरण में 200 नवीन जननी एक्सप्रेस वाहन 400 वाहनों में शामिल कर लिए गए हैं। एवं वर्तमान में राज्य में कुल 600 वाहन संचालित हैं।
3	प्रारम्भ होने का वर्ष	02 अक्टूबर, 2012
4	लाभान्वित वर्ग	महिलाएँ, प्रसूताएँ एवं 30 दिवस तक के बीमार नवजात शिशु।
5	पात्रता	चिन्हित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र क्षेत्र की महिलाएँ, प्रसूताएँ एवं 30 दिवस तक के बीमार नवजात शिशु।
6	देय सुविधाएं	रैफरल ट्रान्सपोर्ट सुविधा “जननी एक्सप्रेस” बेस एम्बुलेन्स द्वारा महिलाओं प्रसूताओं एवं 30 दिवस तक के बीमार नवजात शिशुओं को निकटतम राजकीय चिकित्सा संस्थान तक शिघ्रातिशीघ्र पहुंचाना।
7	सुविधा प्राप्त करने की प्रक्रिया	किसी भी प्रसूता महिला अथवा उसके परिजन द्वारा राज्य स्तर पर संचालित कॉल सेन्टर पर टॉल फ्री नम्बर 104 पर फोन करने पर। 104 टॉल फ्री नम्बर पर सम्पर्क नहीं होने पर संबंधित क्षेत्र में लगायी गयी एम्बुलेन्स “जननी एक्सप्रेस” के वाहन चालक से दूरभाष पर सम्पर्क करने पर।
8	सम्पर्क सूत्र	राज्य स्तर पर निदेशक आरसीएच एवं परियोजना निदेशक मातृ स्वास्थ्य। जिला स्तर पर जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर केन्द्रों के चिकित्सा अधिकारी प्रभारी।